न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/149 /16	01.08.2016	14.06.2018

उनवान

1. सम्मोबाई पुत्री लालुराम धर्म पत्नी औमप्रकाश जाति राजपूत निवासी ग्राम हसनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम हसनपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी को वादनी ने जर्ये रजिस्टर्ड हिबयनामा अपने पिता लालुराम पुत्र सोनूराम से दिनांक 18.06.2008 के प्राप्त किया है और तब से ही वादनी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और आज भी मौके पर वादनी का कब्जा काश्त है और वादनी ही काबिज है और वादनी के अलावा किसी दीगर शख्स का कोई हक व हिस्सा नही है। वादनी को उक्त आराजी पर क्रेडिट कार्ड बनवाने की आवश्यकता पडी तो वादनी दिनांक 28.07.2016 को पटवारी हल्का से मिली और बयनामा आदि की नकल दिखाई व कागजातमाल की नकले मांगी तो पटवारी हल्का ने कागजात देखकर बताया कि इससे आपका क्रेडिट कार्ड नही बनेगा क्योकि इसमें आपके पति का नाम नही है तुम्हारे पिता का नाम है और समस्त पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में तुम्हारे पति का नाम है इस कारण अपने पति का नाम दर्ज कराओ तब क्रेडिट कार्ड बनेगा इस पर वादनी प्रतिवादी सं0 1 से मिली और दुरूस्त कराने की बाबत कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने दुरूस्त करने से मना कर दिया और कहां कि ऊपर से आदेश लाओ। बयनामा में वादनी के पति का नाम बतौर गवाह दर्ज कर दिया लेकिन दान प्राप्तकर्ता में वादनी के पिता के बाद पति का नाम सहबन से दर्ज नही हो सका इसमें वादनी की कोई बदयान्ति नही है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

अतः डिक्री बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि वादनी कागजातमाल जमाबन्दी आदि में जो सम्मोबाई पुत्री लालुराम राजपूत के नाम का इन्द्राज विवादित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम हसनपुर में हो रहा है के बजाय सम्मोबाई पुत्री लालुराम पत्नी औमप्रकाश राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज कराने की अधिकारी है और इसी प्रकार कागजातमाल जमाबन्दी आदि में दर्ज कराने की अधिकारी है।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) की ओर से राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर में दिनांक 23.06.2017 को जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.36 वाके ग्राम हसनपुरा में सम्मोबाई पुत्री लालूराम राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आरजी सम्मोबाई को जर्ये हिबेनामा दिनांक 20.06.2008 द्वारा अपने संग पिता लालूराम द्वारा दान पत्र किया गया था। वादनी सम्मोबाई पुत्री लालूराम वर्तमान में अपने पति औमप्रकाश पुत्र जटटूराम के साथ रहती है। वादनी का नाम आई. डी. में सम्मोबाई पत्नी औमप्रकाश राजपूत दर्ज है। सम्मोबाई की पहचान ग्रामवासियान द्वारा सम्मोबाई पत्नी औमप्रकाश के नाम से ही होती है। अतः वादनी सम्मोबाई पुत्री लालूराम पत्नी औमप्रकाश जाति राजपूत निवासी हसनपुरा रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। तथा लालुराम पुत्र सोनू को दुरूस्त करने हेतु कोई आपत्ति नही जताई गई। मौके पर मौजूद ग्रामवासियान के अंगूठा व हस्ताक्षर कराये गये।

वादनी अपने पिता के स्थान पर पति औमप्रकाश का नाम दर्ज करना चाहती है जबकि दानपत्र में पति का नाम दर्ज नही है। मजमे आम में जांच करने पर वादनी के पति का नाम औमप्रकाश होना सही पाया गया। रजिस्टर्ड दान पत्र की शुद्धि पंजीयन नियमों के तहत शुद्धि पत्र रजिस्टर्ड कराने के बाद किया जाना उचित है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत मालपुर दिनांक 14.06.2018 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत मालपुर दिनांक 14.06.2018 को पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का ईन्दपुर की जांच रिपोर्ट के मुताबिक वादनी के पति का नाम औमप्रकाश होना सही पाया गया। अतः दुरूस्ती किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम हसनपुर तहसील रामगढ में वादनी कागजातमाल जमाबन्दी आदि में जो सम्मोबाई पुत्री लालुराम राजपूत के नाम का इन्द्राज हो रहा है उसके बजाय सम्मोबाई पत्नी औमप्रकाश राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज कराने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मालपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 149 / 16	01.08.2016	14.06.2018

उनवान

1. सम्मोबाई पुत्री लालुराम धर्म पत्नी औमप्रकाश जाति राजपूत निवासी ग्राम हसनपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम हसनपुर तहसील रामगढ में वादनी कागजातमाल जमाबन्दी आदि में जो सम्मोबाई पुत्री लालुराम राजपूत के नाम का इन्द्राज हो रहा है उसके बजाय सम्मोबाई पत्नी औमप्रकाश राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज कराने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)